डॉ0 राहुल खुल्लर, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 5.1.2010 को मध्याह्न 12.00 बजे सम्मेलन कक्ष सं0 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित एसाइड संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ई सी) की बैठक का कार्यवृत्त ।

प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-I पर दी गई है ।

2. प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए डॉ0 श्याम अग्रवाल, संयुक्त सचिव ने सूचित किया कि वर्ष 2009-10 के दौरान एसाइड स्कीम के केन्द्रीय संघटक के अंतर्गत उच्चाधिकार प्राप्त समिति की यह दूसरी बैठक है । केन्द्रीय संघटक के अंतर्गत आवंटित 114 करोड़ रूपए में से 82.83 करोड़ रूपए का उपयोग किया जा चुका है । एसाइड दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विभाग ने केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रयोजनार्थ निष्पादन न करने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित 20 करोड़ रूपये का उपयोग करने का निर्णय लिया है । उन्होंने सूचित किया कि हमारे पास अनुमानतः 51 करोड़ रूपए हैं जिसमें से 35.24 करोड़ रूपए पूर्वोत्तर क्षेत्र से इतर के लिए और 15.76 करोड़ रूपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है ।

3. वाणिज्य सचिव ने दोहराया कि एसाइड स्कीम ऐसी मुख्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए है जो निर्यातों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं । उन्होंने सभी प्रतिभागियों को सूचित किया कि परियोजनाएँ पूरी करने के लिए उनकी समय-सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए और उन्हें केवल उन्हीं परियोजनाओं की संस्तुति करनी चाहिए जिनके लिए संस्वीकृत निधि का उपयोग एक वर्ष के भीतर किया जा सकता हो । उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि राज्य सरकारें एसाइड के अंतर्गत पहले से ही 80 प्रतिशत आवंटन प्राप्त कर रही हैं, अतः केन्द्रीय संघटक के अंतर्गत और वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए विशेष औचित्य अनिवार्य है ।

4. तत्पश्चात एक के बाद एक कार्यसूची मदों पर विचार किया गया था और निम्नलिखित निर्णय लिए गए थेः-

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	अभिकरण	परियोजना	जारी/नई	कुल लागत	प्रशासनिक अनुमोदन	लिया गया निर्णय । 2009-10 के दौरान निर्गम
1	एफ एस ई जेड	सेक्टर-।।, एफ एस ई जेड में ह्यूम पाइप नाले का निर्माण	नई	29.58	29.58	अनुमोदित । निर्गम 29.58
2	एफ एस ई जेड	सेक्टर-।।, एफ एस ई जेड में पम्प की आपूर्ति एवं उसे लगाने सहित सीधे घूर्णन पद्धति द्वारा एक 250 मिमी. X 150 मिमी. व्यास वाले और 300 मी. गहरे ट्यूब वेल का निर्माण	नई	14.79	14.79	अनुमोदित । निर्गम 14.79
3.	एफ एस ई जेड	सेक्टर-।।, एफ एस ई जेड में दूसरे ऊपरी जलाशय का निर्माण	नई	86.17	86.17	अनुमोदित । वर्ष 2010-11 के दौरान निधि जारी करने पर विचार किया जाएगा ।
4	एफ एस ई जेड	सेक्टर-।। में जल वितरण लाइन का निर्माण (अंतिम चरण)	नई	37.05	37.05	अनुमोदित । निर्गम 37.05
5	एफ एस ई जेड	सेक्टर-।।, एफ एस ई जेड में वर्षा जल संचय जलाशय का निर्माण	नई	86.79	-	एफ एस ई जेड ने प्रस्ताव वापस लिया ।
6	एफ एस ई जेड	सेक्टर-।।, एफ एस ई जेड में सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइटिंग	नई	94.41	-	एफ एस ई जेड को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से वित्तीय सहायता (परियोजना लागत का लगभग 35 प्रतिशत) हेतु अनुरोध करना चाहिए और शेष राशि यदि कोई हो, एसाइड से मांगनी चाहिए ।
7	के एस ई जेड	एस डी एफ भवन (भू-तल सहित) 6000 वर्ग मी0 का निर्माण	नई	1393.37	1393.37	अनुमोदित । निर्गम 300.00
8	के एस ई जेड	पुराने क्षेत्र में अन्य अवसंरचना विकास कार्य, आर सी सी, वर्षा जल निकासी (बॉक्स) प्रकार	नई	1100.00	1100.00	अनुमोदित । निर्गम 500.00

9	एन एस ई जेड	एन एस ई जेड, नोएडा में 100 के डब्ल्यूपी एकल सौर ऊर्जा संयंत्र की संस्थापना	नई	302.00	177.00	अनुमोदित । निर्गम 177
10	सीप्ज एस ई जेड	सीप्ज एस ई जेड में एस डी एफ 3,4 एवं 5 में लिफ्ट बदलना	जारी	169.29	169.29	अनुमोदित । निर्गम शेष 41.78 (पूर्व हस्तांतरण 127.51)
11	सीप्ज एस ई जेड	जल पुनर्चक्रीकरण प्रणाली उपलब्ध कराना	जारी	400.00	400.00	अनुमोदित । निर्गम 280.00 (पूर्व हस्तांतरण 120.00)
12	सीप्ज एस ई जेड	निगरानी के प्रयोजनार्थ सीप्ज एस ई जेड के भीतर एक वॉच टॉवर स्थापित करना	जारी	63.66	63.66	अनुमोदित । निर्गम 63.66
13	सीप्ज एस ई जेड	एक अग्निशमन इंजन, एक एम्बुलेंस और 24 घंटे कार्मिकों के साथ एक अग्निशमन स्टेशन की स्थापना	जारी	520.00	520.00	अनुमोदित । निर्गम शेष 170.00 (पूर्व हस्तांतरण 350.00)
14	सीप्ज एस ई जेड	सीप्ज एस ई जेड में आंतरिक सड़कों का निर्माण करना तथा लेन चिन्हित करना, सी सी रोड पर पैदल पारपथ उपलब्ध कराना	नई	130.36	130.36	निवल लागत पर अनुमोदित । ध्यातव्य (1) : वास्तविक व्ययों के अध्यधीन निवल लागत के अतिरिक्त ई टी पी, वृद्धि, आकस्मिकताओं, डी एस आर आदि सहित अधिकतम 15 प्रतिशत अन्य प्रभार प्रदान किए जाएंगे । विकास आयुक्त, सीप्ज द्वारा एम आई डी सी के साथ उपर्युक्त के संबंध में वार्ता की जाएगी तथा परियोजना निष्पादन शुरू करने से पूर्व, 10 दिनों के भीतर उपर्युक्त पर उनकी सहमति प्रस्तुत की जाएगी । ध्यातव्य (2) : एम आई डी सी के पास संचयी ब्याज (लगभग 140 लाख रूपये) का समायोजन आगे के निर्गम से किया जाएगा ।

15	सीप्ज एस ई जेड	इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली दूसरा चरण (सीप्ज एस ई जेड में गेट संख्या 1, 2 और 3 पर बैगेज स्कैनर उपलब्ध कराना तथा गेट संख्या 1 के प्रथम तल पर अग्निशमन व्यवस्था के साथ नियंत्रण एवं सर्वर कक्ष उपलब्ध कराना)	नई	231.70	231.70	निवल लागत पर अनुमोदित । ध्यातव्य (1) : वास्तविक व्ययों के अध्यधीन निवल लागत के अतिरिक्त ई टी पी, वृद्धि, आकस्मिकताओं, डी एस आर आदि सहित अधिकतम 15 प्रतिशत अन्य प्रभार प्रदान किए जाएंगे । विकास आयुक्त, सीप्ज द्वारा एम आई डी सी के साथ उपर्युक्त के संबंध में वार्ता की जाएगी तथा परियोजना निष्पादन शुरू करने से पूर्व, 10 दिनों के भीतर उपर्युक्त पर उनकी सहमति प्रस्तुत की जाएगी । ध्यातव्य (2) : एम आई डी सी के पास संचयी ब्याज (लगभग 140 लाख रूपये) का समायोजन आगे के निर्गम से किया जाएगा ।
16	सीप्ज एस ई जेड	सीप्ज एस ई जेड के पूर्वी भाग में कांटेदार तार की 15 कतारों के साथ आर सी सी चारदीवारी उपलब्ध कराके सीप्ज परिसर की सुरक्षा सुदृढ़ करना ।	नई	194.96		निवल लागत पर अनुमोदित । ध्यातव्य (1) : वास्तविक व्ययों के अध्यधीन निवल लागत के अतिरिक्त ई टी पी, वृद्धि, आकस्मिकताओं, डी एस आर आदि सहित अधिकतम 15 प्रतिशत अन्य प्रभार प्रदान किए जाएंगे । विकास आयुक्त, सीप्ज द्वारा एम आई डी सी के साथ उपर्युक्त के संबंध में वार्ता की जाएगी तथा

						परियोजना निष्पादन शुरू करने से पूर्व, 10 दिनों के भीतर उपर्युक्त पर उनकी सहमति प्रस्तुत की जाएगी । ध्यातव्य (2) : लागत एवं निर्गम के ब्यौरों की जांच फाइल पर की जाएगी ।
17	सीप्ज एस ई जेड	सीप्ज एस ई जेड परिसर में खुले हुए वर्षा जल नाले को बंद करने के लिए आर सी सी का पहले से ढलाई किया हुआ कवर उपलब्ध कराना ।	नई	209.51		निवल लागत पर अनुमोदित । ध्यातव्य (1) : वास्तविक व्ययों के अध्यधीन निवल लागत के अतिरिक्त ई टी पी, वृद्धि, आकस्मिकताओं, डी एस आर आदि सहित अधिकतम 15 प्रतिशत अन्य प्रभार प्रदान किए जाएंगे । विकास आयुक्त, सीप्ज द्वारा एम आई डी सी के साथ उपर्युक्त के संबंध में वार्ता की जाएगी तथा परियोजना निष्पादन शुरू करने से पूर्व, 10 दिनों के भीतर उपर्युक्त पर उनकी सहमति प्रस्तुत की जाएगी । ध्यातव्य (2) : लागत एवं निर्गम के ब्यौरों की जांच फाइल पर की जाएगी ।
18	सीप्ज एस ई जेड	गेट संख्या 2 का निर्माण	नई	78.00	78.00	निवल लागत पर अनुमोदित । ध्यातव्य (1) : वास्तविक व्ययों के अध्यधीन निवल लागत के अतिरिक्त ई टी पी, वृद्धि, आकस्मिकताओं, बी एस आर आदि सहित अधिकतम 15 प्रतिशत अन्य प्रभार प्रदान किए

						जाएंगे । विकास आयुक्त, सीप्ज द्वारा एम आई डी सी के साथ उपर्युक्त के संबंध में वार्ता की जाएगी तथा परियोजना निष्पादन शुरू करने से पूर्व 10 दिनों के भीतर उपर्युक्त पर उनकी सहमति प्रस्तुत की जाएगी । ध्यातव्य (2) : लागत एवं निर्गम के ब्यौरों की जांच फाइल पर की जाएगी ।
19	सीप्ज एस ई जेड	सीप्ज एस ई जेड में बहुमंजिली कार पार्किंग उपलब्ध कराना ।	नई	1768.31		अनुमोदित नहीं ।
20	सीप्ज एस ई जेड	सभी भवनों की सुरक्षा के लिए फ्लड लाइटों की व्यवस्था, निर्माण, जांच एवं शुरूआत ।	नई	74.76	74.76	निवल लागत पर अनुमोदित । ध्यातव्य (1) : वास्तविक व्ययों के अध्यधीन निवल लागत के अतिरिक्त ई टी पी, वृद्धि, आकस्मिकताओं, डी एस आर आदि सहित अधिकतम 15 प्रतिशत अन्य प्रभार प्रदान किए जाएंगे । विकास आयुक्त, सीप्ज द्वारा एम आई डी सी के साथ उपर्युक्त के संबंध में वार्ता की जाएगी तथा परियोजना निष्पादन शुरू करने से पूर्व, 10 दिनों के भीतर उपर्युक्त पर उनकी सहमति प्रस्तुत की जाएगी । ध्यातव्य (2) : लागत एवं निर्गम के ब्यौरों की जांच फाइल पर की जाएगी ।

21	वी एस ई जेड	प्रशासनिक भवन, वी एस ई जेड, विशाखापत्तनम में 10 किलोवाट के एकल सौर ऊर्जा संयंत्र की संस्थापना	नई	30.00	17.50	अनुमोदित । वी एस ई जेड द्वारा यह परियोजना उनके पास उपलब्ध बचत राशि से कार्यान्वित की जाएगी । अतः निर्गम - शून्य ।
22	मसाला बोर्ड	तूतीकोरिन में गुणवत्ता आकलन प्रयोगशाला सह प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	नई	500.00	448.00	अनुमोदित । निर्गम 50.00 । मसाला बोर्ड द्वारा परियोजना एवं 2.00 लाख रूपये के परामर्श शुल्क को अपने पास उपलब्ध निधि से पूरा किया जाएगा ।
23	मसाला बोर्ड	दिल्ली में गुणवत्ता आकलन प्रयोगशाला सह प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	जारी	500.00	500.00	अनुमोदित । निर्गम 100.00 । मसाला बोर्ड द्वारा परियोजना एवं 2.00 लाख रूपये के परामर्श शुल्क को अपने पास उपलब्ध निधि से पूरा किया जाएगा ।
24	चाय बोर्ड	डी टी आर एवं डी सी, कुर्सियांग, दार्जिलिंग में गुणवत्ता आकलन प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	नई	947.00	731.00	अनुमोदित । निर्गम 50.00.
25	एपीडा	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र (एन आर सी ग्रेप) पुणे में स्थित ताजे फलों एवं सब्जियों के निर्यात हेतु राष्ट्रीय संदर्भीय प्रयोगशाला (एन आर एल) का उन्नयन	नई/उन्नयन	1568.29	784.15 (एसाइड से)	एसाइड से 50 प्रतिशत योगदान अर्थात 784.15 लाख रूपय के साथ अनुमोदित । निर्गम 784.15
26	सी डब्ल्यू सी	मेहदीपुर भू-सीमाशुल्क स्टेशन (एल सी एस) के लिए डी पी आर तैयार करना	जारी	0.75	0.75	अनुमोदित । निर्गम 0.375 (पूर्व निर्गम 0.375)
27	चर्म निर्यात परिषद (सी एल ई)	अम्बुर व्यापार केन्द्र में अग्निशमन कार्य, कार पार्किंग एवं आंतरिक सड़क संबंधी कार्य जैसी अतिरिक्त अवसंरचना का विकास	नई	268.00	201.00	एफ टी पी 2009-14 के अंतर्गत अम्बुर को चर्म उत्पादों के लिए निर्यात उत्कृष्टता का शहर घोषित किए जाने की दृष्टि से । अम्बुर व्यापार केन्द्र की सफलता के लिए दृश्य-श्रव्य प्रणाली एवं आंतरिक साज-सज्जा हेतु केन्द्र के अभिन्न अंग होने की दृष्टि से ।

						निर्गम 134.00
28	आई एल एंड एफ एस	एसाइड स्कीम के निष्पादन का मध्यावधि आकलन	नई	18.00+ कर	18.00 + कर	अनुमोदित । निर्गम 9.77 (50% + अनुप्रयोज्य कर).
29	आई डी आई	आई डी आई, सूरत का सिटी सेंटर	जारी	1180.00	472	संस्वीकृत निधि के भीतर संघटक-वार लागत के समायोजन की अनुमति देने के लिए अनुमोदित ।
30	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम	पीतमपुर (इंदौर) एस ई जेड में अवसंरचना सुविधाओं का विकास	जारी	691.47	500.00	मांग प्राप्त होने के बाद फाइल पर जांच की जाएगी ।
31	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	नियंत्रण रेखा पर अवसंरचना विकास	जारी	3870.00	500.00	300.00 (पूर्व निर्गम 200.00) के निर्गम के लिए फाइल पर जांच की जाएगी ।
32	केरल सरकार	किन्फ्रा, केरल में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन स्कूल हेतु प्रस्ताव	जारी	2057.00	686.00	वास्तविक प्रगति रिपोर्ट के साथ मांग प्राप्त होने के बाद फाइल पर जांच की जाएगी । (पूर्व निर्गम 456.00)
33	मेघालय सरकार	बोरोसोरा में भू-सीमाशुल्क स्टेशन का विकास	नई	2701.00	-	ई सी ने उपलब्ध सुविधाओं तथा अपेक्षित अवसंरचना का आकलन करने के लिए श्री अरविन्द मेहता, संयुक्त सचिव, दक्षिण एशिया के साथ व्यापार के प्रभारी को निदेशक, एफ टी (एस ए) और निदेशक (अवसंरचना) के साथ मेघालय स्थित भू-सीमाशुल्क स्टेशन का दौरा करने तथा उपयुक्त संस्तुतियां करने का निर्देश दिया था ।
34	मेघालय सरकार	घासुआपाड़ा में भू-सीमाशुल्क स्टेशन का विकास	नई	2788.00	2788.00	क्रम संख्या 33 के अनुसार

35	मिजोरम सरकार	मेलबक में व्यापार एवं वाणिज्य विभाग के आवासीय कॉम्प्लेक्स को जलापूर्ति	नई	156.10	156.10	अपवादस्वरूप अनुमोदित। निर्गम 156.10.
36	त्रिपुरा सरकार	श्रीमंतपुर में भू-सीमाशुल्क स्टेशन का विकास	नई	1600.00	1200.00 एसाइड से (400.00 सरकारी निधि)	अनुमोदित । निर्गम 400.00.
37.	त्रिपुरा सरकार	बोधजंगनगर, त्रिपुरा में बांस पार्क की स्थापना	नई	2493.83	1358.93	निधि जारी करने के लिए फाइल पर जांच की जाएगी ।
38	पश्चिम बंगाल सरकार	घोजादंगा में भू-सीमाशुल्क स्टेशन का विकास	जारी परियोजना/ पूंजी का संशोधित प्रस्ताव	1472.00	505.00	पावर ब्लॉक के साथ पार्किंग यार्ड के निर्माण तथा सड़कें बनाने के लिए 505 लाख रूपये की लागत के साथ अनुमोदित । 415 लाख रूपये की लागत वाली पूर्व अनुमोदित परियोजना को निरस्त कर दिया गया और पहले से जारी 200 लाख रूपये की निधि का उपयोग वर्तमान परियोजना के लिए किया जाएगा ।
39	पश्चिम बंगाल सरकार	हिल्ली में भू-सीमाशुल्क स्टेशन का विकास	जारी	773.00	654.00	चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई निधि जारी नहीं की जाएगी ।
40	पश्चिम बंगाल सरकार	फुलबाड़ी में भू-सीमाशुल्क स्टेशन का विकास	जारी	1403.00	871.85	चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई निधि जारी नहीं की जाएगी ।
41	पश्चिम बंगाल सरकार	महादीपुर में भू-सीमाशुल्क स्टेशन का विकास	नई	1553.00	1553.00	सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित । मांग प्राप्त होने के बाद निधि जारी किए जाने की जांच फाइल पर की जाएगी ।

3. **विविध मुद्दे:**

(i) **सीप्ज परिसर में इंटर गोल्ड को जोड़ते हुए सी जी आई से तारा अल्टिमो तक सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण संबंधी परियोजनाओं का नाम बदलना :** इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया था ।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, आर ओ बी, दादरी तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, पम्पौर की प्रगति पर भी विचार-विमर्श किया गया था । वाणिज्य सचिव ने अभ्युक्ति की थी कि वास्तविक प्रगति/मांग प्राप्त होने के बाद दोनों मामलों की फाइल पर जांच की जाएगी ।

5. अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई थी ।

अनुबंध-I

डॉ0 राहुल खुल्लर, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 5.1.2010 को आयोजित एसाइड संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ई सी) की बैठक के लिए प्रतिभागियों की सूची

क्र.सं.	प्रतिभागियों का नाम	पद/संगठन
1.	श्री पी के चौधरी	अपर सचिव
2.	डॉ0 श्याम अग्रवाल	संयुक्त सचिव
3.	श्री नीरज के गुप्ता	संयुक्त सचिव
4.	श्री अनिल मुकीम	संयुक्त सचिव
5.	श्री पी के दाश	संयुक्त सचिव
6.	श्री अरविन्द मेहता	संयुक्त सचिव
7.	श्री वी डी आलम	निदेशक (वित्त)
8.	श्री एम आर शर्मा	निदेशक (बागान), वाणिज्य विभाग
9.	श्री ए के बाम्बा	निदेशक (राज्य प्रकोष्ठ)
10.	श्री डी के वर्मा	अवर सचिव (राज्य प्रकोष्ठ)
11.	श्री अरूण के बिट	विकास आयुक्त, एफ एस ई जेड
12.	श्री एम एस राव	विकास आयुक्त, वी एस ई जेड
13.	श्री एस सी पाण्डा	विकास आयुक्त, एन एस ई जेड
14.	सुश्री माया डी केम	विकास आयुक्त, के एस ई जेड
15.	सुश्री अनीता अग्निहोत्री	विकास आयुक्त, सीप्ज
16.	श्री के सुधाकरन	जी एम, किन्फ्रा
17.	श्री असित त्रिपाठी	अध्यक्ष, एपीडा
18.	श्री एस दवे	निदेशक, एपीडा
19.	श्री एम मुअज्जम	एम डी, जम्मू एवं कश्मीर, सिडको
20.	श्रीमती सुनैना भट	वरिष्ठ रेजिडेंट मैनेजर, जम्मू एवं कश्मीर, सिडको
21.	श्री एल के गुप्ता	प्रधान सचिव (आई एंड सी) , त्रिपुरा सरकार
22.	श्री भास्कर खुल्बे	सलाहकार (उद्योग), पश्चिम बंगाल सरकार
23.	श्री अनुराग कश्यप	ए वी पी, आई एल एंड एफ एस
24.	श्री संदीप शर्मा	अनुभाग अधिकारी, आई एल एंड एफ एस

25.	श्रीमती इस्थर लालरूआक्टकिमी	सचिव, व्यापार एवं वाणिज्य, मिजोरम सरकार
26.	श्री निखिल कुमार	संयुक्त सचिव, व्यापार एवं वाणिज्य, मिजोरम सरकार
27.	श्री एस लालजीरलियामा	संयुक्त निदेशक, व्यापार एवं वाणिज्य, मिजोरम सरकार
28.	श्री हबीब हुसैन	अध्यक्ष, चर्म निर्यात परिषद
29.	श्री एम रफीक	सदस्य, चर्म निर्यात परिषद
30.	श्री ए ए खान	ई डी, चर्म निर्यात परिषद
31.	श्री एस डी शर्मा	ए जी एम परियोजना, सी डब्ल्यू सी
32.	श्री वी जे कुरियन	अध्यक्ष, मसाला बोर्ड
33.	सुश्री रोशनी सेन	उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड
34.	श्री डी एस चतुर्वेदी	जोनल अधिकारी, मध्य प्रदेश
35.	श्री के के शर्मा	आई डी आई, सूरत

सं0 13/09/2009-राज्य प्रकोष्ठ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

दिनांकः   जनवरी, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषयः वित्त वर्ष 2009-10 के लिए एसाइड स्कीम संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ई सी) की बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को डॉ0 राहुल खुल्लर, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 5.1.2010 को सम्मेलन कक्ष सं0 141, उद्योग भवन में आयोजित एसाइड स्कीम संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ई सी) की बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

हस्ता/-

(डी के वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23063311

सेवा में,

संलग्न सूची के अनुसार

प्रतिलिपिः-

वाणिज्य सचिव के पीपीएस/विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पीपीएस/अपर सचिव (पीकेसी) के पीपीएस/संयुक्त सचिव (एसए)/संयुक्त सचिव (एनकेजी)/संयुक्त सचिव(एएम)/संयुक्त सचिव (बीएसएस)/संयुक्त सचिव (एआर)/निदेशक (वीडीए)/निदेशक (एबी) के पीएस